



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना धामपुर

दिनांक 16.04.2024

थाना धामपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 169/24 धारा 380/411 भादवि से संबंधित दो अभियुक्तों को चोरी गये सामान सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.04.2024 को वादी श्री ब्रह्मपाल पुत्र रामचरन सिंह नि0 ग्राम कोडीपुरा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अफनान पुत्र मो0 इरशाद निवासी नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2.अभिषेक पुत्र पूरन नि0 कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर व एक व्यक्ति अज्ञात द्वारा वादी के घर में घुसकर चोरी की। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 169/24 धारा 380/411 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.04.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 169/24 धारा 380/411 भादवि से संबंधित अभियुक्तगण 1.अफनान पुत्र मो0 इरशाद निवासी नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर 2.अरशद पुत्र असमत निवासी नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को चोरी गये एक रॉड व एक ड्रील मशीन सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.अफनान पुत्र मो0 इरशाद निवासी नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 2.अरशद पुत्र असमत निवासी नई सराय कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

1. एक रॉड व एक ड्रील मशीन।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अरशद उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 62/20 धारा 380/511 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 2.मु0अ0सं0 438/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

गरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विजेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 2- का0 45 सावन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर।